संख्या-193/2026/639 के-2/22-3-2025-17(629)/2017

प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश पुत्र श्री सुआराम, निवासी जनपद-मैनपुरी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-26339/प्रो0अनु0 (2)-299/2025 (बैठक दिनांक 13-06-2025), दिनांक 30.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश पुत्र श्री सुआराम, जो ग्राम-नगला बांध, थाना-किशनी, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 19-08-2001 को अपने 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्रों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 01 व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-128/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 307/149, 452 में मा0 न्यायालय षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 29.11.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27-12-2023 तक 22 वर्ष 03 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 19 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है तथा बंदी की आयु 56 वर्ष, 11 माह, 22 दिन है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी द्वारा किया गया अपराध एक घृणित अपराध है जो केवल व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि समाज को भी व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध कर सकने, पुन: अपराध करने में सशक्त होने, कारागार में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि पुरानी रंजिश के कारण बन्दी द्वारा दिनांक 19-08-2001 को अपने 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्रों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी तथा 01 व्यक्ति को घायल कर दिया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तो के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.upgov.in

आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बंदी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता व बंदी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कमलेश पुत्र श्री सुआराम को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश (बंदी संख्या-21197) पुत्र श्री सुआराम, निवासी जनपद-मैनपुरी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कमलेश कुमार

उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in